न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2002/00001

1. चन्दूराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम खरबारा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर एवं हाल निवासी 11 केजेडी तहसील बीकानेर

...प्रार्थी

बनाम

1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. रेंजर वनविभाग खाजूवाला

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 04.08.2022**

यह वादपत्र वादी ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। वादी ने दिनांक 9.2.94 को तात्कालिन उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नं0 2 मुकाम खाजूवाला के चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 143/7 में कला नं0 5, 6 में 2 बीघा कमाण्ड एवं 3,4,7,8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 13.00 बीघा अनकमाण्ड कुल 15.00 बीघा भूमि नियमानुसार जरिये रजिस्ट्री खरीद की। यह रकबा वादी ने गणेशाराम पुत्र भोमाराम जाति नाई निवासी खोतड़ी तहसील रतनगढ़ जिला चुरु से खरीद किया था जो गणेशाराम को नियमानुसार पुख्ता आवंटन हुआ जिसकी खातेदारी दिनांक 06.11.90 को मिली जिसका इन्तकाल दिनांक 11.5.94 को नियमानुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उस समस वनविभाग का इसमें कोई दखल नहीं था जब खातेदारी दी जाती है तो तहसील से रिपोर्ट ली जाती है उसमें रकबे पर किसी तरह का कोई ब्लेम होता है तो खातेदारी नहीं ली जा सकती जबकि वादी ने जो रकबा खरीदा है। वह खातेदारी से पूर्व, खातेदारी के समय व खातेदारी के बाद निजोखमा था क्योंकि 26.1.88 को एसीसी बीकानेर ने उपनिवेशन तहसीलदार छतरगढ़ नं0 2 को पत्र लिखा है जिसमें उपरोक्त रकबे को वनविभाग से बाहर करना बताया है तब से लेकर वनविभाग ने कोई उज्र नहीं किया है। परन्तु दिनांक 18.7.94 को खाजूवाला रेन्जर एवं उसके अधीन कमचारीगण ने अपने खेत में वादी को काम करने से रोका तथा कहा कि यह रकबा वनविभाग का है और तुम्हे बेदखल करेगें। वादी जब अपने खेत में ट्रेक्टर से काश्त कर रहा था तब वनविभाग के उपरोक्त कर्मचारियों ने रोका तथा काश्त करने से मना किया तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी वादी को डर है कि उसे नाजायज ढ़ग से वनविभाग वाले बेदखल करने की धमकी दी वादी को डर है कि उसे नाजायज ढ़ग से वनविभाग वाले बेदखल कर सकते है जबकि रिकॉर्ड के सारे कागजात वादी के पक्ष में बोलते है तथा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो वनविभाग के पक्ष में बोलता हो और वनविभाग के पक्ष में जब इन्टरी थी तो उसे हटाया गया और वह भी वनविभाग की सहमति से तो वनविभाग के किसी भी आदमी ने दिनांक 18.7.94 तक कोई एतराज नहीं किया और मौके पर वादी अब ढ़ाणी बनाकर सपरिवार निवास करता है ऐसी दशा में अगर वादी को बेदखल किया जाता है तो यह कानून की खिलाफवर्जी होगी।

रजिस्ट्री कराने के बाद वादी ने अपने नाम से रकबा दर्ज कराने वास्ते अर्थात इन्तकाल दर्ज करने वास्ते नियमानुसार संबंधित तहसीलदार महोदय को कई दरख्वास्ते दी परन्तु उपनिवेशन तहसील खाजूवाला का रकबा रेवेन्यु को हेन्डओवर होने की वजह से आजतक वादी के नाम से इन्तकाल नहीं हुआ है जबकि वादी नियमानुसार उपरोक्त रकबे का मालिक है क्योंकि यह रकम नियमानुसार उसका खरीदा हुआ है और नियमानुसार उसके कब्जे व काश्त में है जो वनविभाग द्वारा वादी को बेदखल करना अनुचित है। उपरोक्त रकबे पर वनविभाग का कोई लेनादेना नहीं है फिर भी वादी को बिना कारण बेदखल करने की धमकी दी गई उसे काश्त करने से उसे बन्द किया है जबकि अब काश्त करने का समय है वनविभाग की यह कार्यवाही कानून के खिलाफ है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुवे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी को उसके रकबे से बेदखल न करें ना ही काश्त करने से रोके और अन्य कोई रास्त हो तो भी दी जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामिल हेतु समन जारी किये गए। **प्रतिवादी सं0 1** राज पैरोकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसके अनुसार वादी के नाम बैनामा का ना0 सं0 37 दिनांक 10.10.94 चक 11 केजेडी मु0नं0 143/7 किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 15.00 बीघा रकबा खातेदारी दर्ज हुआ इसमें से मु0नं0 143/7 का किला नं0 15 ता 17, 24, 25 कुल 5.00 बीघा जिला कलक्टर महोदय बीकानेर के आदेश दिनांक 10.10.96 की पालना में इ0सं0 43 दिनांक 4.12.96 द्वारा अराजीराज दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शेष 10.00 बीघा रकबा वादी द्वारा बेचान करने के कारण जरिये इं0नं0 56 दिनांक 06.12.99 मेघराज पुत्र चेतनराम जाति जाट के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसप्रकार वर्तमान में वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में वाद मे वर्णित रकबा नहीं है। वाद में वर्णित भूमि का वादी टिनेन्ट नहीं है। दावा विधि से बाधित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। **प्रतिवादी सं0 2** का जवाब प्रस्तुत हुआ है जिसके अनुसार चक 10 केजेडी (हाल 11 केजेडी) के मु0नं0 143/7 की समस्त 25.00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 2 वनविभाग जरिये उपवन संरक्षक, रा0न0प0 बेरियावाली को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आवंटन आदेश क्रमांक/एफ(बी)34/आबादी/17/बी/472–76 दिनांक 11.1.79 से चक 10 केजेडी (हाल 11 केजेडी) मे अन्य मुरब्बा भूमि के साथ चारागाह विकास हेतु विधिवत् आवंटित प्रश्नगत भूमि का भी विधिवत् कब्जा लिया जाकर इस मुरब्बे पर भी चारागाह विकास कार्य करवाए गए। उक्त भूमि पर वन विभाग का आवंटन निरस्त होने एवं कब्जा किसी अन्य को वापिस दिया जाना जाहिर नहीं है ना ही कोई ऐसी कार्यवाही करने मे सक्षम है। उक्त भूमि को रक्षित वन घोषित करने के विचार स्वरूप राज्य सरकार ने इसकी प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 13.2.1986 को ही जारी कर राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.2.1994 को प्रकाशन भी किया। चूंकि यह ''वन भूमि'' है। अतः इसपर केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) 1980 के सेक्शन 2 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 के प्रावधानों के तहत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उपयोग बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के विधि विरूद्ध है। अगर प्रार्थी के हक में उक्त भूमि या उसके किसी भाग पर उसके हक स्वरूप ऐसा कोई आदेश या कार्यवाही–यथा गैरवानिकी से इन्द्राज, कब्जा काश्त इत्यादि किये गये है तो उक्त कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। जहां तक प्रार्थी द्वारा अपने वादपत्र के बिन्दु सं0 1 मे उल्लेखित चक 11 केजेडी (पूर्व चक 10 केजेडी) के मु0नं0 143/7 के किला नं0 3 ता 8 तथा 13 ता 18 व 23 ता 25 कुल तादादी भूमि 17.00 बीघा (2.00 बीघा कमाण्ड एवं 15.00 अनकमाण्ड के बारे में अपने हक स्वरूप जो तथ्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है–उनका कोई ठोस वैधानिक आधार नहीं है।

अपने विक्रेता का उक्त भूमि पर खातेदारी हक होने, प्रार्थी द्वारा अपने विक्रेता से क्रय किये जाने, उक्त वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण कर इसका गैरवानिकी उपयोग (कृषि कार्य करने झोपड़ी बनाकर रहने) इत्यादि तथ्यों के आधार पर अपना हक जताया है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रश्नगत भूमि को वनविभाग से बाहर कर देने की बात कही है–जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है क्योंकि ऐसा कोई वैधानिक तथ्य या अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि उक्त भूमि पर वनविभाग का आवंटन निरस्त हो चुका है ना ही कोई ऐसी कार्यवाही करने मे सक्षम है। अगर ऐसी कोई कार्यवाही हुई भी हो तो वह विरूद्ध है। इसे मान्यता देकर उक्त भूमि पर प्रार्थी का हक स्वीकारना विधि सम्मत नहीं है। वादी का यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि वनविभाग ने वादी के अतिक्रमण या उसकी किसी कार्य कार्यवाही का कभी विरोध नहीं किया। वनविभाग का प्रतिनिधि उसे बार बार उक्त भूमि के संबंध में वास्तविकता से अवगत कराता रहा है। प्रार्थी ने विवादित भूमि के हक स्वरूप कोई ठोस वैधानिक आधार या दस्तावेज पेश नहीं किये है जो तथ्य या दस्तावेजात पेश किये गये है वे वनभूमि पर लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थी का यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि उक्त भूमि क संबंध में सारे कागजात प्रार्थी के पक्ष में है। वादी ने अपने वादपत्र मे स्वंय उक्त भूमि को क्रय करने से पूर्व इसे वनभूमि के रूप में स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बतौर वनभूमि के रूप में दर्ज थी। प्रार्थी का यह कथन कि उसके विक्रेता की खातेदारी दिनांक 6.11.90 एवं इंतकाल दिनांक 11.5.94 दर्ज किया गया। अर्थात खातेदारी वन विभाग के आवंटन के बाद की है। उसकी एन्ट्री वनविभाग क आवंटन एवं कब्जे के बाद की है। यह तथ्य भी स्वीकार नहीं है कि वनविभाग ने उसकी बाद की अवैध एन्ट्री का कभी विरोध नहीं किया। प्रार्थी द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है जिसे अमल में लाने मे समय लगना स्वाभाविक है। केन्द्रीय कानून वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के प्रावधानों के तहत वनभूमि बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी कार्यो हेतु उपयोग में नहीं ला जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी0एन0 गोदावरमण बनाम भारत सरकार व अन्य, वाद सं0 202/95 में अपने आदेश दिनांक 12.12.96 में निर्देश दिये हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में जो भूमियां वनभूमि के रूप में दर्ज हो चुकी है। उन भूमियों पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के समस्त प्रावधान लागू होगें, चाहे वनभूमि का वर्गीकरण, स्वामित्व, किसी भी प्रकार का हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश प्रदान किये कि वनभूमि क्षेत्र में गैरवानिकी कार्यो के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है तथा बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति कोई भी अन्य कार्य अनुज्ञय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिये है। जिन प्रकरणों में किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अधिकार के बिना ही भूमि हस्तान्तरण वनविभाग के नाम जारी रिकॉर्ड में इन्द्राज करा दिया गया है। ऐसे इन्द्राज को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के कारण रिकॉर्ड से हटाये जाने की अनुमति नहीं होगी। अतः जवाबदावा एवं संबंधित दस्तावेजात की फोटो प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद बिना किसी ठोस कानूनी आधार पर पेश किये जाने के कारण खारिज योग्य है। अतः उक्त भूमि का निर्णय वनविभाग/सरकार के हक में करने का निवेदन किया है।

जवाबदावा आने बाद तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार है:–

1. आया कि वादी वादगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है अथवा वादगत भूमि में वादी का हित निहित है

..... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि 15.00 बीघा में से 5.00 बीघा सक्षम अधिकारी के आदेशों से अराजीराज दर्ज कर दी गई तथा शेष 10.00 बीघा भूमि वादी द्वारा अन्य व्यक्ति को बैय कर दी गई है। दावा विधि से बाधित होने के कारण काबिल खारिज है।

.... जिम्मे प्रतिवादी सं0 1

3. आया कि वादगत भूमि वनविभाग को विधिवत रूप से आवंटित की गई है तथा वादगत भूमि पर वनविभाग काबज है।

जिम्मे प्रतिवादी सं0 2

तनकीयात कायमी के पश्चात दिनांक 10.6.11 को शहादत वादी बन्द की गई । बहस सुनी गई। तनकीवार विवेचन करने के बाद एवं प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी वादपत्र के कथनों को साबित करने में असफल रहा है इसलिए वादपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)